न्यायालय–द्वितीय जिला न्यायाधीश पेण्ड्रारोड, जिला–बिलासपुर (छ०ग)
(पीठासीन न्यायाधीश–श्रीमती ज्योति अग्रवाल)

व्यवहार अपील प्रकरण–12–A/2026
CNR NO.–CGBI110002742026
संस्थित दिनांक–06/05/2026

1–हरिहर प्रसाद गुप्ता पिता जियालाल गुप्ता,

उम्र–77 वर्ष, निवासी– 27 खोली विकास नगर

गुरूद्वारा के पास बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ०ग०)

2–मदनलाल गुप्ता पिता जियालाल गुप्ता,

उम्र–68 वर्ष, निवासी– राजेन्द्र नगर कोरबा,

जिला–कोरबा (छ०ग०) **––––––––––अपीलार्थीगण/वादीगण**

–:: विरुद्ध ::–

1–रंजीत कुमार गुप्ता पिता हेमंत कुमार गुप्ता, उम्र–35 वर्ष,

2–रोशन कुमार गुप्ता पिता हेमंत कुमार गुप्ता, उम्र–32 वर्ष,

3–रोहित कुमार गुप्ता पिता हेमंत कुमार गुप्ता, उम्र–25 वर्ष,

तीनों निवासी– ग्राम धोबहर, तहसील–मरवाही,

जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)

4–आशीष गुप्ता पिता गुन्नेलाल गुप्ता, उम्र–60 वर्ष,

निवासी– ग्राम लरकेनी, पोस्ट– धोबहर,

जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)

5–टी०डी० मरकाम तहसीलदार मरवाही (विलोपित)

6–अशोक यादव वाचक तहसील कार्यालय मरवाही,

जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)

7–छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा जिलाध्यक्ष बिलासपुर (छ०ग०) ––––**उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण**

––

न्यायालय–श्रीमान् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी मरवाही (पीठासीन अधिकारी–श्रीमान पुनीत तिग्गा) जिला–बिलासपुर (छ०ग०) के व्यवहार वाद क्रमांक–02 अ/2020, पक्षकार–हरिहर प्रसाद गुप्ता विरूद्व रंजीत कुमार वगैरह में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक–30/03/2026 से उद्भूत यह व्यवहार अपील।

––

अपीलार्थीगण की ओर से	–	**श्री पिताम्बर केशरवानी अधिवक्ता। उत्तरवादी**
क्र०–01 से 04 द्वारा	–	**श्री पंकज नगाईच अधिवक्ता।**
उत्तरवादी क्र०– 05	–	**विलोपित।**
उत्तरवादी क्र०–06 द्वारा	–	**श्री चरण कुल्हरिया अधिवक्ता।**
उत्तरवादी क्र०–07	–	**एकपक्षीय।**

––

–// निर्णय //–

(आज दिनांक–11/08/2026 को घोषित)

1. अपीलार्थी/वादी ने आदेश 41 नियम 01 सहपठित धारा 96 व्य०प्र०संहिता 1908 के अंतर्गत यह व्यवहार अपील **श्रीमान् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी मरवाही (पीठासीन अधिकारी–श्रीमान पुनीत तिग्गा) जिला–बिलासपुर (छ०ग०) के व्यवहार वाद क्रमांक–02 अ/2020, पक्षकार–हरिहर प्रसाद गुप्ता विरूद्व रंजीत कुमार वगैरह में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक–**

<u>30/03/2026</u> से व्यथित एवं क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त किया गया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि ग्राम लरकेनी, राजस्व निरीक्षक मण्डल एवं तहसील मरवाही जिला–बिलासपुर (छ०ग०) राज्य अवस्थित भूमि खसरा नंबर 633 मिसल बंदोबस्त के अनुसार मूल रकबा 10.00 एकड़ वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की पैतृक भूमि हैं जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में 11 टुकड़ों में बंटाकिंत होकर दर्ज हैं। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम लरकेनी स्थित भूमि खसरा नंबर 633, रकबा 10.00 एकड़ का विभाजन वर्षों पूर्व वादीगण के पिता जियालाल गुप्ता, प्रतिवादी क्रमांक 4 के पिता गुन्ने लाल गुप्ता एवं सावित्री देवी के ससुर हजारी लाल गुप्ता के बीच हुआ था । खसरा नंबर 633 का चार टुकड़ों में विभाजन खसरा नंबर 633/1 रकबा 4.39 एकड़, गुन्ने लाल गुप्ता खसरा नंबर 633/2 रकबा 1.40 एकड़, हजारी लाल गुप्ता जो बाद में सावित्री देवी के नाम पर दर्ज हुआ है तथा खसरा नंबर 633/3 रकबा 0.07 एकड़ एवं खसरा नंबर 633/4, रकबा 4.14 एकड़ जियालाल गुप्ता के नाम पर दर्ज हुआ था । यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वादी मदनलाल को बंटवारे में प्राप्त भूमि खसरा नंबर 633/3, रकबा 0.04 एकड़ एवं खसरा नंबर 633/8, रकबा 0.30 एकड़ एवं वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता को बंटवारे में प्राप्त भूमि खसरा नंबर 633/10, रकबा 0.03 एकड़

खसरा नंबर 633/5 रकबा 0.89 एकड़ एवं खसरा नंबर 633/6 रकबा 925 एकड़ भूमि आपस में जुड़ी हुई है।

3.क– विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत नर्मदादीन गुप्ता के वारिसानों का वंशवृक्ष निम्नानुसार है–

नर्मदादीन (मृत)

प्रथम पत्नी से उत्पन्न संतान

- अनंदिया (मृत)
- हजारीलाल (मृत)
- रामभरोस (मृत)
- भैयालाल (मृत)
- जियालाल (मृत)
- लालजी (मृत)
- सुन्दर लाल (मृत)

नर्मदादीन (मृत) द्वितीय पत्नी से उत्पन्न संतान

- अमृत लाल
- कंचन (मृत)
- लखन लाल
- शांति बाई
- गुलाबिया (मृत)

जियालाल (मृत) के वारिसान

- कमला प्रसाद (मृत)
- निर्मल कुमार (मृत)
- हरिहर प्रसाद
- संतोष कुमार (मृत)
- मदनलाल
- कृष्ण कुमार
- आनंद
- द्विजी (पुत्री)
- यशोदा (पुत्री)
- कौशिल्या (पुत्री)

लालजी (मृत) के वारिसान

गुन्नेलाल गुप्ता (मृत) के वारिसान

- नरेश गुप्ता
- हेमन्त गुप्ता (मृत)
  - रंजीत गुप्ता
  - रोशन गुप्ता
  - रोहित गुप्ता
  - जननी (पुत्री)
- आशीष गुप्ता

ख– अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त विवादित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रमांक 04 आशीष गुप्ता के द्वारा वादीगण के हक एवं हिस्से की वादभूमि पर वादीगण के लिए ईंट का घेरा बनाने के नाम पर धोखा में रखकर धीरे–धीरे मकान निर्माण करना प्रारंभ कर दिया गया है । वादी हरिहर प्रसाद ने न्यायालय तहसीलदार मरवाही के समक्ष स्थगन आदेश हेतु प्रस्तुत किया था, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा स्थगन आदेश का पालन न करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 05 एवं 06 के सहयोग से मकान निर्माण पूर्ण कर उसपर निवासरत है। प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 के द्वारा संबंधित राजस्व अधिकारी, कर्मचारी से मिलकर मूल खसरा नंबर 633 के टुकड़ों एवं रकबा को मनमानी तौर पर फेरबदल करते रहते है । वादीगण की ओर से विवाद के समय बार–बार थाना मरवाही में शिकायत किया गया था, परंतु कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं किया गया है। अतः वादभूमि के संबंध में स्वत्व अधिकार की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, कब्जा हेतु प्रतिवादी क्रमांक 04 के निर्माण को तोड़कर रिक्त आधिपत्य बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है ।

4. **विचारण न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी/प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 एवं 04 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष तथ्यों से इंकार करते हुए अभिवचन किया गया है कि** वादभूमि खसरा नंबर 633/3, रकबा 0.07 एवं खसरा नंबर 633/4 रकबा 4.14 एकड़ भूमि आपसी बंटवारा में

वादीगण के पिता जियालाल गुप्ता को प्राप्त हुई थी, परन्तु जिया लाल गुप्ता की मृत्यु के पश्चात् जियालाल गुप्ता के नाम पर दर्ज भूमियों का नामांतरण कब उसके उत्तराधिकारियों के नाम पर दर्ज हुआ तथा उनके बीच बंटवारा कब हुआ, इसकी कोई भी जानकारी इन प्रतिवादीगण को नहीं है। भूमि खसरा नंबर 633 का बंटवारा प्रथम बार जब हुआ उस समय खसरा नंबर 633/1, रकबा 4.39 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 के बाबा (दादा) एवं प्रतिवादी क्रमांक–04 के पिता गुन्ने लाल गुप्ता को एवं खसरा नंबर 633/2 रकबा 1.40 एकड़ भूमि हजारी लाल गुप्ता को बंटवारे में मिली थी। वादीगण के पिता जियालाल गुप्ता के बंटवारे में मिली भूमि खसरा नंबर 633/3 रकबा 0.07 एकड़ एवं खसरा नंबर 633/4 रकबा 4.14 एकड़ भूमि उपरोक्त भूमियों अर्थात् गुन्ने लाल एवं हजारी लाल को बंटवारे में मिली भूमि के पीछे पश्चिम की ओर स्थित है। वादीगण की ओर से जानबूझकर नर्मदादीन के सभी उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

ख– प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा संक्षिप्त में आगे इस प्रकार है कि वादी हरिहरप्रसाद नौकरीपेशा होने एवं मदन लाल कोरबा में व्यवसाय करने के कारण ग्राम धोबहर/लरकेनी से बाहर रहते है। प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं उनके पिता स्व० गुन्ने लाल गुप्ता के द्वारा लिखित में अलग–अलग दिनांक 13/01/2016 एवं दिनांक 08/02/2017 को वादभूमि के संबंध में किसी प्रकार की अनापत्ति अर्थात सहमति वादीगण को प्रदान नहीं की गई है। यदि

वादीगण के पास इस आशय का कोई दस्तावेज है भी तो वह स्पष्ट रूप से झूठा बनावटी एवं कूटरचित दस्तावेज है, जिससे वादीगण को किसी प्रकार का हक की प्राप्ति उक्त दस्तावेजों के आधार पर नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी की ओर से जो भी निर्माण कार्य किया गया है, वह न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने के बहुत पूर्व का है । वह निर्माण कार्य प्रतिवादीगण के हक एवं कब्जे की भूमि खसरा नंबर 633/1 जिसका पूर्व में रकबा 4:39 एकड़ भूमि पर पेण्ड्रा–सिवनी लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण किए जाने हेतु 0.18 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है जिस संबंध में भू–अर्जन अधिकारी पेण्ड्रारोड द्वारा इस प्रतिवादी के पिता गुन्नेलाल को सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में मुख्य सड़क से लगी भूमि की कीमत बहुत बढ़ गई है, इस कारण वादीगण, प्रतिवादीगण के हक एवं कब्जे की भूमि खसरा नंबर 633/1, को खसरा नंबर 633/8, 633/3 तथा 633/10 बताते हुए न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किये हैं । अतः वादी का वाद अस्वीकार कर निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5. शेष प्रतिवादी क्रमांक 6 द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय होने के कारण जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, दस्तावेजों एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व दस्तावेजों के आधार पर कुल 06 वाद बिन्दु की विरचना कर साक्ष्य उपरांत आलोच्य निर्णय एवं डिक्री

पारित करते हुये वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध यह व्यवहार अपील अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

7. विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादी साक्षियों के रूप में हरिहर प्रसाद गुप्ता (वा०सा–01), मदनलाल गुप्ता (वा०सा०–02), जयसिंह (वा०सा०–03), संजय कुमार (वा०सा०–04) का साक्ष्य कराया है तथा दस्तावेज के रूप में इकरारनामा दिनांक 08/02/2017, 13/01/2016 प्रदर्श पी०–01, प्रदर्श पी०–02, बी–1 किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2019–20 प्रदर्श पी०–03, फार्म पी–II खसरा पांचशाला प्रदर्श पी०–04, थाना प्रभारी थाना मरवाही को प्रेषित आवेदन पत्र प्रदर्श पी०–05, खसरा नंबर 633/4 एवं 633/8 पर निर्माणाधीन कम्पाण्डवाल की फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी०–06, न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार मरवाही जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही छ०ग० द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 201904073500003/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 23/03/2021 की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी०–07, तहसीलदार मरवाही जिला बिलासपुर छ०ग० के मामला क्रमांक 16 वर्ष 2014–15 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 04/03/2015 से दिनांक 14/10/2015 की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी०–08, खसरा नंबर 633/1 का ऑनलाईन खसरा नक्शा प्रदर्श पी०–09, जियालाल की अधिकार अभिलेख प्रदर्श पी०–10, नामांतरण पंजी वर्ष 2005–06 प्रदर्श पी०–11, खसरा पांचशाला वर्ष 2001–02 से वर्ष 2004–05 प्रदर्श

पी०–12, ग्राम लरकेनी का मिसल नक्शा प्रदर्श पी०–13 तक के प्रदर्श दस्तावेज एवं नायब तहसीलदार का स्थगन आदेश दिनांक 05/09/2014, 16/06/2014, हरिहर प्रसाद की ऋण पुस्तिका क्रमांक 0162819, तहसीलदार मरवाही का स्थगन आदेश दिनांक 12/04/2009, खसरा नंबर 633 का वर्ष 1927–28 का मिसल नक्शा, नामांतरण पंजी वर्ष 2005–06, अधिकार अभिलेख वर्ष 1954–55, खसरा पांचशाला वर्ष 2002–03 से 2004–05 तक एवं धारा 155 द०प्र०सं० की सूचना दिनांक 06/10/2019 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

8. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रतिवादी साक्षियों के रूप में रंजीत गुप्ता (प्रति०सा०–01), तुला सिंह (प्रति०सा०–02), राजकुमार गुप्ता (प्रति०सा०–03), कमलेश गुप्ता (प्रति०सा०–04), आशीष गुप्ता (प्रति०सा०–05) का साक्ष्य कराया है तथा दस्तावेज के रूप में भू–अर्जन अधिकारी पेण्ड्रारोड द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ 82/2009–10 के संबंध में गुन्नेलाल को भेजा गया सूचना पत्र दिनांक 18/04/2012 की मूलप्रति प्रदर्श डी०–01, न्यायालय तहसीलदार मरवाही के राजस्व प्रकरण क्रमांक 9/अ 70/2018–19 में पारित आदेश दिनांक 20/08/2019 से 26/02/2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी०–02, न्यायालय तहसीलदार मरवाही के राजस्व प्रकरण क्रमांक 201904073500003/अ 70 में

पारित आदेश दिनांक 23/03/2021 प्रदर्श डी०–03, पटवारी प्रतिवेदन प्रदर्श डी०–04, आवेदन दिनांक 10/04/2019 प्रदर्श डी०–05, हल्का पटवारी द्वारा प्रदत्त नक्शा, खसरा एवं बी–1 की मूलप्रति प्रदर्श डी०–06, 07, 08, न्यायालय तहसीलदार मरवाही के राजस्व प्रकरण क्रमांक 43/अ 6 अ/2018–19 के संबंध में आदेश पत्रिका दिनांक 24/12/2020 से दिनांक 06/02/2021 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी०–09, 10 अनुविभागीय अधिकारी मरवाही जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही छ०ग० के प्रकरण क्रमांक 23/अ–82/2007–08 के संबंध में गुन्नेलाल एवं सावित्री देवी को दिनांक प्रेषित सूचना दिनांक 09/11/2022 की मूलप्रति प्रदर्श डी०–11, 12, वादभूमि के संबंध में बी–1 किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2022–23, 2019–20, 2021–22, 2019–20, 2021–22, प्रदर्श डी०–13, 14, 15, 16, 17, फार्म पी–II खसरा पांचशाला वर्ष 2021–2022 प्रदर्श डी०–18 प्रस्तुत किया गया है ।

9. अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आधार यह है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का उचित परिशीलन किए बिना ही वादप्रश्न क्रमांक 01 को अप्रमाणित मानकर गंभीर त्रुटि कारित किया है । वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज नामांतरण पंजी क्रमांक 02 प्रदर्श पी०–10 एवं खसरा पांचशाला प्रदर्श पी०–12 से यह प्रमाणित हो गया है कि खसरा नंबर 633/3 रकबा 0.07 एकड़ का आपसी बंटवारा होने के उपरांत 633/3 में से रकबा 0.04 एकड़ वादी

मदन लाल गुप्ता को प्राप्त हुआ था और शेष रकबा 0.03 एकड़ वादी हरिहर प्रसाद को प्राप्त हुआ था। राजस्व निरीक्षक मरवाही के द्वारा प्रदर्श पी०–08 में नक्शा बंटाकन हेतु मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रदर्श पी०–08 के पृष्ठ क्रमांक 11 में यह लिखा है कि वर्तमान कब्जा के अनुसार नक्शा तैयार किया गया है । खसरा नंबर 633 के सभी बंटाकनों को कब्जा के अनुसार दर्शित किया गया है जिसमें खसरा नंबर 633/8 को लिखते समय त्रुटिवश 733/8 लिखा गया है। उक्त स्थान पर खसरा नंबर 633 के अतिरिक्त कोई 733 खसरा नंबर की भूमि नहीं है। वादीगण का दावा मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रतिवादी साक्ष्य में आए स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रमाणित था । अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–30/03/2026 को निरस्त कर अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है ।

10. अपीलार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील ज्ञापन में लिये गये आधार अनुरूप लिखित तर्क प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

11. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क का श्रवण किया गया । मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

12. इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिंदु उद्भूत होते हैंः–

1– "क्या, न्यायालय–श्रीमान् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी मरवाही (पीठासीन अधिकारी–श्रीमान पुनीत तिग्गा) जिला–बिलासपुर (छ०ग०) के व्यवहार वाद क्रमांक–02 अ/2020, पक्षकार–हरिहर प्रसाद गुप्ता विरूद्ध रंजीत कुमार वगैरह में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक–30/03/2026 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से हस्तक्षेप किये जाने योग्य है ?"

2– अनुतोष एवं वाद व्यय ?

–//विचारणीय बिंदु क्रमांक–01 पर सकारण निष्कर्ष //–

13. विचारण न्यायालय के समक्ष वादी के द्वारा अपने वादपत्र के उल्लेखित तथ्य के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 58 के प्रावधानानुसार–**

स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है– किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते है, या जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो

जाते है, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है :

परन्तु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा ।

14. इस प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचन के अनुसार यह स्वीकृत किया गया है कि ग्राम लरकेनी, राजस्व निरीक्षक मण्डल एवं तहसील मरवाही जिला–बिलासपुर (छ०ग०) राज्य अवस्थित भूमि खसरा नंबर 633 मिसल बंदोबस्त के अनुसार मूल रकबा 10.00 एकड़ वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की पैतृक भूमि हैं जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में 11 टुकड़ों में बंटाकिंत होकर दर्ज हैं। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम लरकेनी स्थित भूमि खसरा नंबर 633, रकबा 10.00 एकड़ का विभाजन वर्षों पूर्व वादीगण के पिता जियालाल गुप्ता, प्रतिवादी क्रमांक 4 के पिता गुन्ने लाल गुप्ता एवं सावित्री देवी के ससुर हजारी लाल गुप्ता के बीच हुआ था । खसरा नंबर 633 का चार टुकड़ों में विभाजन खसरा नंबर 633/1 रकबा 4.39 एकड़, गुन्ने लाल गुप्ता खसरा नंबर

633/2 रकबा 1.40 एकड़, हजारी लाल गुप्ता जो बाद में सावित्री देवी के नाम पर दर्ज हुआ है तथा खसरा नंबर 633/3 रकबा 0.07 एकड़ एवं खसरा नंबर 633/4, रकबा 4.14 एकड़ जियालाल गुप्ता के नाम पर दर्ज हुआ था । यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वादी मदनलाल को बंटवारे में प्राप्त भूमि खसरा नंबर 633/3, रकबा 0.04 एकड़ एवं खसरा नंबर 633/8, रकबा 0.30 एकड़ एवं वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता को बंटवारे में प्राप्त भूमि खसरा नंबर 633/10, रकबा 0.03 एकड़ खसरा नंबर 633/5 रकबा 0.89 एकड़ एवं खसरा नंबर 633/6 रकबा 925 एकड़ भूमि आपस में जुड़ी हुई है।

15. उक्त स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने जिस भूमि को वादभूमि के रूप में प्रस्तुत किया है, वह भूमि उन्हें बंटवारे में प्राप्त हुई थी । उक्त बंटवारा में प्राप्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण कोई दावा नहीं कर रहे है, न ही इस बाबत् आपत्ति कर रहे है कि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के हक, आधिपत्य की हैं । विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 30/03/2026 की कंडिका 9 में यह निष्कर्षित किया है कि– माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्याय दृष्टांत SAWARNI VERSUS INDER KAUR (1996) 6 SCC 223 में पारित निर्णय के अनुसार Mutation of name in revenue records–Effect– Held, does not create or extinguish the title nor has nay presumptive value on title– it only entitles the person concerned to pay land revenue.

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्याय दृष्टांत P. KISHOR VERSUS VITTAL K. PATKAR (2024) 13 SCC 553 में पारित निर्णय की कंडिका 22 अनुसार– It is title law that revenue records are not documents of title. इसी प्रकार कंडिका 23 के अनुसार– Revenue records neither create nor extinguish title, nor does it have any presumptive value on title. All it does is title the person in whose favour mutation is done to pay the land revenue in question. इसी प्रकार कंडिका 24 से 26 के अनुसार– Mere mutation of records would not divest the owners of a land of their right, title ane interest in the land. उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मात्र राजस्व दस्तावेजों में नाम दर्ज हो जाने के आधार पर किसी व्यक्ति को भूमि को स्वामित्व प्राप्त नहीं हो जाता है । वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण एवं वादीगण के पूर्वजों के मध्य किया गया बंटवारा स्पष्ट नहीं होने के कारण वादीगण को उक्त बंटवारे को कार्यवाही के अनुसार वादभूमि स्वत्वाधिकारी उचित दर्शित नहीं होता है ।

16. निश्चित ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार राजस्व अभिलेख स्वामित्व का दस्तावेज नहीं होता है और न ही राजस्व अभिलेख में इंद्राज के आधार पर स्वत्व की घोषणा की जा सकती है, परंतु इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वादभूमि पर

वादीगण के बंटवारा उपरांत स्वत्व प्राप्त करने के तथ्य को प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में स्वीकार किया है एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत किश्तबंदी खतौनी प्रदर्श पी०–03, खसरा पांचशाला प्रदर्श पी०–04, नामांतरण पंजी वर्ष 2005–06 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी०–11, खसरा पांचशाला वर्ष 2001–02 से 2004–05 प्रदर्श पी०–12 के अनुसार वादभूमि वादीगण की आधिपत्य की होना उल्लेखित है ।

17. **प्रदर्श पी०–11 के नामांतरण पंजी में यह लेख है कि– "खसरा नंबर 633/4 से 1.17, आपसी भाई बंटवारा में मौके के कब्जे अनुसार भाई हरिहर ने पाया । 633/4 से 0.89, 633/4 से 0.25, 633/3 से 0.03 को आपसी भाई बंटवारा में मौके के कब्जे अनुसार भाई कमला प्रसाद ने पाया । कमला प्रसाद, हरिहर प्रसाद, मदनलाल, कृष्ण, आनंद कुमार पिता सियाराम, अरविन्द, आदित्य पिता निर्मल कुमार, सुदर्शन पिता निर्मल का आदेश दिनांक 24/04/2006 कैफियत लरकेनी प्रविष्ट देखी । इश्तहार जारी, कोई आपत्ति नहीं । पक्षकार उपस्थित । उनको सुना गया । सभी सहखातेदार अपने पूर्व में आपसी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से में शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्तकर रहे है । तद्नुसार पृथक–पृथक बंटवारा चाहते है । प्रविष्टि प्रमाणित ।**"

18. उक्त प्रविष्टि को प्रतिवादीगण की ओर से विवादित नहीं किया गया है और न ही बंटवारा के संबंध में कोई आपत्ति की गई है । न्यायालय को यह विचार

किया जाना है कि स्वीकृत तथ्य को साबित किया गया है या नहीं । इस प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि को स्वत्व के प्रमाण स्वरूप न होने से वादी का दावा खारिज किया है, परंतु स्वीकृत तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है । राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि नामांतरण पंजी के आधार पर की गई है और उक्त राजस्व अभिलेख के इंद्राज की पुष्टि स्वीकृत तथ्यों से होती है । न्यायालय यह पाता है कि वादी यह अधिसंभाव्यता की प्रबलता से प्रमाणित करने में सफल रहे है कि उसके पिता जिलालाल गुप्ता के जीवनकाल में खसरा नंबर 633/3 रकबा 0.07 एकड़ तथा खसरा नंबर 633/4 रकबा 4.14 एकड़ का आपसी बंटवारा उसके एवं वादी क्रमांक 02 तथा अन्य भाईयों के बीच हो गया है और ग्राम लरकेनी के नामांतरण पंजी वर्ष 2005–06 के नामांतरण क्रमांक 02 दिनांक 23/03/2006 आदेश दिनांक 24/06/2006 के अनुसार वादभूमि खसरा नंबर 633/3 मूल रकबा 0.07 एकड़ में से 0.04 एकड़ वादी क्रमांक 02 को प्राप्त हुआ और खसरा नंबर 633/3 रकबा 0.04 एकड़ राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है तथा शेष रकबा 0.03 एकड़ उसके नाम पर राजस्व अभिलेख में 633/10 के रूप में दर्ज किया गया है । इसी प्रकार खसरा नंबर 633/4 रकबा 4.14 एकड़ में से वादभूमि खसरा नंबर 633/8 रकबा 0.30 एकड़ वादी क्रमांक 02 के नाम पर दर्ज हुआ और वादभूमि सहित खसरा नंबर 633/4 के टुकड़ों पर उसका एवं उसके भाईयों का स्वत्व एवं अधिकार तथा आधिपत्य रहा है ।

19. **वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता (वा०सा०–01**) ने प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह जब तक नौकरी किया है, वह बाहर ही रहता था । यह कथन किया है कि नौकरी करने के दौरान उसकी भूमि पर खेती–किसानी का कार्य एवं देखरेख उसकी ओर से आशीष गुप्ता करता था । आशीष गुप्ता लगभग वर्ष 2010 तक उसके भूमि पर उसकी ओर से खेती–किसानी एवं देखरेख जो कि लगभग 5–6 वर्ष किया था । आशीष गुप्ता से पूर्व एवं बाद में उसकी भूमि पर कृषि कार्य वह स्वयं मजदूरों के माध्यम से करवाता रहा, जिसकी देखरेख की जवाबदारी अञ्जू गुप्ता के द्वारा किया जाता रहा । साक्षी ने यह कथन किया है कि उन भाईयों के बीच भूमियों का बंटवारा तहसील न्यायालय से नहीं हुआ था । साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि बंटवारा नामांतरण पंजी के अनुसार हुआ है । यह स्वीकार किया है कि उक्त बंटवारा के बाद उन भाईयों के बीच किसी प्रकार विवाद नहीं हुआ था, जिस कारण तहसील न्यायालय में कोई मामला नहीं चला था ।

20. **वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता (वा०सा०–01)** ने प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान उन भाईयों के बीच में बंटवारा के बाद उन भाईयों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था, जिस कारण तहसील न्यायालय में कोई मामला नहीं चला था । उन भाईयों के बीच में बंटवारा वर्ष 2005–06 में हुआ है । यह स्वीकार किया है कि उन भाईयों के बीच में हुए बंटवारे

में उसके अतिरिक्त किस–किस भाईयों को कितनी–कितनी जमीन मिली है, वह नहीं बता सकता है । साक्षी स्वतः कथन किया है कि बंटवारा/नामांतरण पंजी की नकल उसने प्रस्तुत किया है ।

21. **वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता (वा०सा०–01)** ने प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उन भाईयों के बीच हुए आपसी बंटवारे के समय सभी जीवित भाई तथा मृत भाईयों के वारिसान उपस्थित रहे हैं । हल्का पटवारी द्वारा तैयार बंटवारा/नामांतरण पंजी में सभी हिस्सेदारों का हस्ताक्षर लिया गया । हल्का पटवारी ने बंटवारा/नामांतरण पंजी तैयार करने से पूर्व उनकी भूमियों का स्थल निरीक्षण किया था । यह स्वीकार किया है कि हल्का पटवारी द्वारा जब बंटवारा/नामांतरण पंजी में किया गया, उस समय नक्शा बंटाकन की कोई कार्यवाही हल्का पटवारी ने मौका निरीक्षण कर उनका बंटवारा कब्जा के आधार पर जिस भूमि पर जो भाई काबिज थे, उसे बंटवारे में भूमि को प्रदान किया गया था। यह कथन किया है कि संजय कुमार गुप्ता को आशीष के घर में लेकर गया गुप्ता तथा वह तथा उसके भाई मदनलाल ने आशीष गुप्ता के घर पर ही प्रदर्श पी–01 में हस्ताक्षर किये थे।

22. **वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता (वा०सा०–01)** ने प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी०–01 का स्टाम्प उसने अपने वकील साहब से मंगवाया था । यह अस्वीकार किया है कि

प्रदर्श पी०–01 में उल्लेखित गुन्नेलाल का हस्ताक्षर उनके द्वारा फर्जी रूप से किया गया है । यह अस्वीकार किया है कि प्रदर्श पी०–01 में गुन्नेलाल का हस्ताक्षर नहीं है । यह अस्वीकार किया है कि जब वह प्रदर्श पी०–01 का स्टॉम्प लेकर आशीष गुप्ता के पास हस्ताक्षर कराने से गया था, तब आशीष गुप्ता द्वारा यह कहा गया था कि वह पहले अपने तिपा गुन्नेलाल से पूछ लेगा, उसके बाद ही हस्ताक्षर करेगा ।

23. **वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता (वा०सा०–01)** ने प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह अस्वीकार किया है कि बाद में आशीष गुप्ता यह कहा था कि उसके पिता गुन्नेलाल ने स्टाम्प में हस्ताक्षर नहीं करना बताया है, इसलिए वह भी स्टॉम्प में हस्ताक्षर नहीं करेगा । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी०–01 का स्टॉम्प गुन्नेलाल गुप्ता के द्वारा नहीं मंगाया गया था । यह अस्वीकार किया है कि उन लोगों ने प्रदर्श पी०–01 के दस्तावेज को गवाहों के साथ मिलकर तथा अपने अधिवक्ता जो उसके रिश्तेदार भी है, उनसे मिलकर फर्जी तरीके से तैयार किए है ।

24. **वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता (वा०सा०–01**) ने प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह अस्वीकार किया है कि मुख्य सड़क से लगी हुई उसके भाई मदनलाल की कोई भूमि नहीं है। यह कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि उसके द्वारा दावा की गई भूमि पर आशीष गुप्ता ने कितनी लंबी–चौड़ी भाग पर मकान बनाया गया है, वह लगभग 20 डिसमिल में मकान बना

लिया है। यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा दावा की गई भूमि पर रंजीत रोशन एवं रोहित किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया है। साक्षी स्वतः कथन किया है कि रंजीत, रोशन एवं रोहित के द्वारा उनके द्वारा की जा रहे निर्माण पर व्यवधान किया था और अभी भी व्यवधान कर रहा है। यह अस्वीकार किया है कि वह जिस स्थल को खलिहान होना तथा अशीष गुप्ता द्वारा मकान बनाना बता रहा है, वह भूमि आशीष गुप्ता वगैरह की भूमि है ।

25. **वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता (वा०सा०–01)** ने प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी०–08 में संलग्न नक्शा बंटाकन की नकल उसे तहसील न्यायालय से मिली है। यह अस्वीकार किया है कि नक्शा बंटाकन की कार्यवाही के समय वह राजस्व निरीक्षक से मिलकर नक्शे में जिस स्थल पर खसरा नंबर 633/8 होना दर्शित कराया है, वह स्थल खसरा नंबर 633/1 का भाग है। यह अस्वीकार किया है कि उक्त भूमि गुन्नेलाल के कब्जे की भूमि है। यह अस्वीकार किया है कि जिस स्थल पर उसने 633/8 होना दर्शित कराया है, उस स्थल पर 50 साल से गुन्नेलाल का मकान बना हुआ है।

26. **वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता (वा०सा०–01)** ने प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह अस्वीकार किया है कि मकान पुराना होने के कारण गिर गया था, इसलिए उसी जगह पर आशीष नया मकान बनाया है।

कहना अस्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण ने खसरा नंबर 633/3 एवं 633/10 पर कोई कार्य नहीं किया है। यह कथन किया है कि वह नक्शा देखकर ही बता सकता है कि प्रतिवादीगण ने खसरा नंबर 633/8 पर कोई निर्माण कार्य किया है या नहीं। साक्षी स्वतः कथन किया है कि स्थल पर प्रतिवादी आशीष द्वारा मकान बनाया गया है जिस पर उसे आपत्ति है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि ग्राम धनपुर, धोबहर एवं लरकेनी में सड़क किनारे की जमीन वर्ग के हिसाब से बिक रही है या नहीं।

27. **वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता (वा०सा०–01)** ने प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि उसके पिता जी तथा गुन्ने लाल वगैरह के बीच हुए बंटवारा में सड़क किनारे की जमीन गुन्नेलाल को दी गयी थी, क्योंकि सड़क किनारे की जमीन पर फसल लगाने पर अधिक रखवाली की जरूरत पड़ती है, है। साक्षी स्वतः कथन करता है कि उसके पिता तथा गुन्नेलाल के मध्य बंटवारा नहीं किये थे, उसके दादा जी किये होंगे।

28. प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान वादी साक्षी के द्वारा प्रस्तुत तथ्य के अनुसार उभयपक्षकारों के द्वारा नामांतरण और बंटवारा संबंधी कार्यवाही अधिसंभाव्यता की प्रबलता से प्रमाणित है । प्रतिवादीगण के द्वारा इकरारनामा प्रदर्श पी०–01 और प्रदर्श पी०–02 के निष्पादन से इंकार किया गया

हैं, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं आशीष गुप्ता की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि वह वादी की स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर उसके बाहर रहने के दौरान कृषि कार्य करते थे । जवाबदावा में प्रस्तुत अभिवचन से यह भी स्वीकार किया गया है कि खसरा क्रमांक 633/8 रकबा 0.30 एकड़ भूमि हरिहर प्रसाद गुप्ता को बंटवारे में प्राप्त हुई थी । न्यायालय यह पाता है कि यह अधिसंभाव्यता की प्रबलता से प्रमाणित है कि वादभूमि वादीगण की स्वत्व की हैं । वादभूमि पर वादीगण के स्वत्व एवं शांतिपूर्ण आधिपत्य पर आशीष गुप्ता और रंजीत गुप्ता के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से प्रदर्श पी०–05 की शिकायत थाना प्रभारी को की गई जिससे यह भी दर्शित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य में विधि विरूद्ध तरीके से हस्तक्षेप किया जा रहा हैं ।

29. प्रतिवादीगण के द्वारा दस्तावेज प्रदर्श डी०–12 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार सावित्री देवी भू–अर्जन अधिकारी मरवाही के द्वारा खसरा क्रमांक 651/1 एवं 633/2 के रकबा के भू–अर्जन के संबंध में नोटिस प्रेषित की गई है । इसी प्रकार गुन्नेलाल गुप्ता को प्रदर्श डी०–11 के अनुसार खसरा क्रमांक 633/1 के रकबा का भू–अर्जन हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है । यह स्पष्ट है कि उक्त प्रतिवादीगण की भूमि भू–अर्जन कार्यवाही के तहत् चिन्हांकित हैं और इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि का

सीमांकन पहचान न कराकर वादीगण की भूमि पर विधि विरूद्ध तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं ।

30. अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30/03/2026 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से **निरस्त** की जाती है । अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील **स्वीकार** कर निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है–

1– वादी मदन लाल गुप्ता को वादभूमि खसरा नंबर 633/3 रकबा 0.04 एकड़ एवं खसरा नंबर 633/8 रकबा 0.30 एकड़ एवं वादी हरिहर प्रसाद गुप्ता को खसरा नंबर 633/5 रकबा 0.89 एकड़ एवं खसरा नंबर 633/6 रकबा 0.25 एकड़ तथा खसरा नंबर 633/10 रकबा 0.03 एकड़ ग्राम लरकेनी प०ह०न०–16, रा०नि०मं० एवं तहसील मरवाही जिला बिलासपुर छ०ग० का भूमि–स्वामी, स्वत्वाधिकारी घोषित की जाती है।

2–वादीगण के स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 633/3 रकबा 0.04 एकड़, खसरा नंबर 633/8 रकबा 0.30 एकड़, खसरा नंबर 633/10 रकबा 0.03 एकड़ में प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 04 के द्वारा किए गए निर्माण को तोड़कर रिक्त आधिपत्य सौंपा जावे ।

3–निर्माण कार्य को तोड़ने का व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जाएगा ।

4–वादीगण के स्वत्व की भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 स्वयं एवं किसी प्रतिनिधि के माध्यम से विधि विरूद्व स्थायी रूप से उनके स्वत्व व आधिपत्य पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

5– उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

6– अधिवक्ता शुल्क सूची अनुसार या प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो वह देय होगा ।

31. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटायी जावे ।

तद्नुसार अपील डिक्री तैयार किया जावे ।

दिनांक–11/08/2026
स्थान–पेण्ड्रारोड, बिलासपुर (छ०ग०)

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निदेशन में टंकित ।

सही/–
(श्रीमती ज्योति अग्रवाल)
द्वितीय जिला न्यायाधीश पेण्ड्रारोड
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

सही/–
(श्रीमती ज्योति अग्रवाल)
द्वितीय जिला न्यायाधीश पेण्ड्रारोड
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

JYOTI AGRAWAL
Digitally signed by JYOTI AGRAWAL